

उपरखण्ड अधिकारी

सुबोधनाथ

मुकाम

मोडलगाव

212 RTM

बनाम

बाबाबाबू

नं.

17

सन 2017

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

14118 पत्रावली पेशा हुडी व गुलाम फरिदुल उपास्थित
वकील जाकी के निवेदन पर दिनांक 20/11/17 को जारी
श्रीमान अडिश को उपास्थित मुनवास्तक वादाया
जाती है पत्रावली वास्तो अहम दिनांक 25/11/18

06
2018

पत्रावली न्याय आपने द्वार डेपु धामनीया पर
पेशा हुई। वकील जाकी के एडपडीपु बलस हुडी
गई। वकील जाकी के एडस में निवेदन हुआ कि
उपपत्र के कलम नं 3 में वर्णित वादग्रस्त
आराजियात में निपटी है, 1 से 4 को इस
इस आस्था कि अस्थायी निषेधाज्ञा है पाबंद
करमाया जावे कि वर झलवाड के निस्वाडप
शजस्व रेकार्ड एवं मीने कि यथास्थिति बनाये
रखेगे।

वकील जाकी के बलस पर अनन्य उया मामला
जाकी के पक्ष वा बनता है।
अतः शर्चना पर अंतरगत धारा 212 RTM के
अहम स्वीकार किया जावा धाम धामनीया में स्थित
शर्चना पर कि कलम नं 3 में वर्णित वादग्रस्त
आराजियात में कि ए. 1 से 4 के विरुद्ध अस्थायी
निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश इस आस्था 5
जारी किया जाता है कि वर झलवाड के निस्वाडप
नउ शजस्व रेकार्ड एवं मीने कि यथास्थिति
बनाये रखेगे जाने हेतु पाबंद किया जाता है।
पत्रावली इसल शर्मा लेका नम्बर है कम है
उपपत्र झलवाड के साथ संलग्न रहे।

पलखण्ड अधिकारी
माण्डलगाव